

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या- 3561 / सेक-2-पांच-15-1(12) / 2013टी0सी0  
लखनऊ :: दिनांक : 10 नवम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के चिकित्साधिकारियों को लेवल-5 अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8900) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 05.01.2015 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय कतिपय चिकित्साधिकारियों को उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी पदोन्नति की संस्तुति 'बंद लिफाफे' में रखी गयी थी। उन चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को जांचोपरान्त बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया गया है।

3- फलस्वरूप चयन समिति द्वारा संस्तुत उनकी पदोन्नति संबंधी 'बन्द लिफाफा' को खोलते हुए संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को उनके आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से लेवल-5 अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8900) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वरिष्ठता क्रमांक	कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि
1	डा० नीना गुप्ता	4790	28.01.2015
2	डा० सुरेश्वर नाथ त्रिपाठी	4888	28.01.2015
3	डा० राकेश कुमार	4990	28.01.2015
4	डा० मधु सक्सेना	5071	31.03.2015

(अरविन्द कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-3561 (1) / सेक-2-पांच-15, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
- 5- संबंधित अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 6- संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
- 7- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 6- संबंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।

7-

संबंधित चिकित्साधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि तत्काल अपनी वर्तमान तैनाती स्थान पर योगदान करते हुए योगदान आख्या शासन/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध करायें।

8-

गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।